राजस्थान सरकार
चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग

प.7(154)(01)/एकेड/2018/2134 दिनांक 5/7/19

परिपत्र

राज्य में निजी चिकित्सा महाविद्यालयों द्वारा एम.एस.सी. मेडिकल सीटों की संख्या में वृद्धि किये जाने /नये पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने हेतु एसेन्सियेलिटी कम फिजीबिलिटी सर्टिफिकेट जारी करने के निम्न दिशा-निर्देश जारी किये जाते है:-

1. **प्राथमिक अर्हतायें**
   1. निर्धारित प्रारुप में आवेदन पत्र।
   2. भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद के अनुसार IMC Act, 1956 (तत्पश्चात आदिनांक संशोधित) के तहत जारी आवश्यक यू.जी. सीटों की मान्यता/अनुमति हेतु प्रदत्त केन्द्र सरकार का पत्र।
   3. राज्य सरकार द्वारा स्नातक पाठ्यक्रम हेतु पूर्व में जारी एसेन्सियेलिटी कम फिजीबिलिटी सर्टिफिकेट की प्रति।
   4. पिछले तीन वर्ष की अंकेक्षित बैलेंस शीट की प्रतियां।
   5. सक्षम प्राधिकारी से सुरक्षित आधारभूत संरचना का प्रमाण पत्र।
   6. सीटों की संख्या में वृद्धि का औचित्य।
   7. एमसीआई की अनुमति प्राप्त होने पर विश्वविद्यालय से सम्बद्धता /अनुमति प्राप्त होने के पश्चात ही निर्धारित प्रकिया के अनुसार विद्यार्थियों को प्रवेश देने सम्बन्धी अण्डरटेकिंग।
   8. मेडिकल कॉलेज के द्वारा राशि रु. 50000/- ऑन लाईन लेखा शीर्ष 0210-03-105-03-00- चिकित्सा शिक्षा विभाग की प्राप्तियां में जमा कराकर चालान की मूल प्रति।

2. **एसेन्सियेलिटी कम फिजीबिलीटी सर्टिफिकेट जारी करने हेतु प्रकिया :-**

आवेदक द्वारा प्राथमिक आर्हतायें पूर्ण करने, संबंधित रेगूलेटिंग ऑथोरिटी /एमसीआई/डीसीआई नार्म्स के अनुसार आवश्यक आधारभूत संरचना, चिकित्सकीय उपकरणों एवं आवश्यक मानव संसाधन की पूर्ति के पश्चात राज्य सरकार को लिखित में कॉलेज के निरीक्षण हेतु सूचित किया जायेगा। कॉलेज द्वारा सूचित करने पर राज्य सरकार द्वारा कॉलेज के भौतिक सत्यापन हेतु निरीक्षण कमेटी का गठन किया जायेगा। निरीक्षण कमेटी द्वारा MCI Standard Assesment Form के अनुसार भौतिक सत्यापन कर 15 दिन में प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जावेगा। प्रतिवेदन पर निम्न समिति द्वारा विचार किया जायेगा:-

1. अति0 मुख्य सचिव/ प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा	अध्यक्ष
2. शासन उप सचिव, चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग	सदस्य
3. संयुक्त शासन सचिव, /शासन उप सचिव, वित्त विभाग (प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग द्वारा मनोनीत)	सचिव
4. प्रधानाचार्य, मेडिकल कॉलेज, जयपुर	सदस्य
5. प्रधानाचार्य, राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय कॉलेज ऑफ डेन्टल साईन्सेस, जयपुर	सदस्य
6. अति0 निदेशक(प्रशा0), चिकित्सा शिक्षा निदेशालय	सदस्य
7. वित्तीय सलाहकार, चिकित्सा शिक्षा निदेशालय	सदस्य

D:\E Drive\feb 2019 letters\Circular letter putup.docx

कृ.पृ.उ.

राजस्थान सरकार
चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग

समिति कॉलेज द्वारा प्रस्तुत समस्त दस्तावेजों एवं निरीक्षण कमेटी की शिफारिश के आधार पर एसेन्सियेलिटी कम फिजीबिलिटी सर्टिफिकेट जारी करने की शिफारिश करेगी।

समिति द्वारा की गई सिफारिश के आधार पर माननीय मंत्री जी का अनुमोदन प्राप्त कर एमसीआई व डीसीआई द्वारा निर्धारित प्रपत्र में एसेन्सियेलिटी कम फिजीबिलिटी सर्टिफिकेट जारी किया जा सकेगा।

आज्ञा से,

2.7.19

(रामानन्द शर्मा)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-

1. निजी सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी।
2. निजी सचिव, माननीय चिकित्सा शिक्षा मंत्री जी /राज्यमंत्री जी।
3. निजी सचिव, सचिव, चिकित्सा शिक्षा।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग।
5. रजिस्ट्रार, राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर।
6. सचिव, बोर्ड ऑफ गर्वनर्स, भारतीय चिकित्सा परिषद, पोकेट 14, सेक्टर 8, द्वारका नई दिल्ली।
7. सचिव, भारतीय दन्त परिषद, गालिब मार्ग , कोटला रोड, नई दिल्ली।
8. अति0 निदेशक(प्रशा0) / एम.ई चिकित्सा शिक्षा निदेशालय।
9. समस्त प्रधानाचार्य, मेडिकल कॉलेज।
10. प्रधानाचार्य राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय कॉलेज ऑफ डेन्टल साईन्सेस, जयपुर।
11. वित्तीय सलाहकार, चिकित्सा शिक्षा निदेशालय।
12. उप निदेशक (एके) निदेशालय चिकित्सा शिक्षा जयपुर।
13. रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव

D:\E Drive\feb 2019 letters\Circular letter putup.docx